



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032022-233903
CG-DL-E-04032022-233903

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 948]
No. 948]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2022/ फाल्गुन 12, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2022/PHALGUNA 12, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2022

का.आ. 978(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तेलंगाना राज्य के मेडक जिले में NH44 के कि.मी. 454 से कि.मी. 456.1 (तुप्रान) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व विभागीय अधिकारी, तुप्रान को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के मेडक जिले में NH44 के कि.मी. 454 से कि.मी. 456.1 (तुप्रान) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना		जिले का नाम: मेडक			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: मनोहराबाद					
गांव का नाम: कल्लाकल					
1	.280	निजी	खेती	328.8057000(वर्ग मीटर)	0.0328806
2	.282	निजी	खेती	935.8317500(वर्ग मीटर)	0.0935832
3	.288	निजी	खेती	885.2462500(वर्ग मीटर)	0.0885246
4	.289	निजी	खेती	252.9275000(वर्ग मीटर)	0.0252928
5	.290	निजी	खेती	607.0200000(वर्ग मीटर)	0.0607020
6	.291	निजी	खेती	607.0200000(वर्ग मीटर)	0.0607020
7	.295	निजी	खेती	3,237.4720000(वर्ग मीटर)	0.3237470
8	.296	निजी	खेती	177.0492500(वर्ग मीटर)	0.0177049
9	.298	निजी	खेती	50.5850000(वर्ग मीटर)	0.0050585
10	.307	निजी	खेती	101.1700000(वर्ग मीटर)	0.0101170
11	.309	निजी	खेती	556.4405000(वर्ग मीटर)	0.0556441
12	.310	निजी	खेती	1,492.2725000(वर्ग मीटर)	0.1492270
13	382	निजी	खेती	455.2695000(वर्ग मीटर)	0.0455269
कुल				9,687.1100	0.9687

[फा. सं. NHAI/PIU-NRML/LA/AP-2/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2022

S.O. 978(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH44 in the stretch of land from Km. 454 to Km. 456.1 (Toopran) in the district of MEDAK in the state of TELANGANA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer, Toopran in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH44 in the stretch of land from Km. 454 to Km. 456.1 (Toopran) in the district of MEDAK in the state of TELANGANA.

State: TELANGANA		District: MEDAK			
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Manoharabad					
Village: Kallakal					
1	.280	Private	Dry	328.8057000(Square Meter)	0.0328806
2	.282	Private	Dry	935.8317500(Square Meter)	0.0935832
3	.288	Private	Dry	885.2462500(Square Meter)	0.0885246
4	.289	Private	Dry	252.9275000(Square Meter)	0.0252928
5	.290	Private	Dry	607.0200000(Square Meter)	0.0607020
6	.291	Private	Dry	607.0200000(Square Meter)	0.0607020
7	.295	Private	dry	3,237.4720000(Square Meter)	0.3237470
8	.296	Private	Dry	177.0492500(Square Meter)	0.0177049

9	.298	Private	Dry	50.5850000(Square Meter)	0.0050585
10	.307	Private	Dry	101.1700000(Square Meter)	0.0101170
11	.309	Private	Dry	556.4405000(Square Meter)	0.0556441
12	.310	Private	Dry	1,492.2725000(Square Meter)	0.1492270
13	382	Private	Dry	455.2695000(Square Meter)	0.0455269
Total				9,687.1100	0.9687

[F. No. NHAI/PIU-NRML/LA/AP-2/3A]

RAJESH GUPTA, Director